अपील संख्या 126/2024 एल आर एक्ट

.तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
01.05.2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से श्री विजय कुमार भादाणी ने दिनांक 28.04.2025 को वकालतनामा, प्रार्थना पत्र पत्रावली को तारीख पेशी मे लेकर उचित कार्यवाही करने एवं उसके सलग्न प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की। अभिभाषक अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के अभिभाषक आज उपस्थित होने पर पत्रावली आज तारीख पेशी मे लेकर प्राथमिक आपत्ति पर बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के अभिभाषक ने प्राथमिक आपत्ति पर बहस के दौरान कथन किया कि उक्त अपील अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 07.10.2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीटक्ट पारित किया गया है। धारा 88 आरटीटक्ट की अपील धारा 223 आरटीटक्ट के तहत आर. ए. ए. को होती है। विवाद धोषणा से संबधित है इस कारण अपील का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। अतः अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। अपीलान्ट के अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अदालत मातहत के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 136 से संबधित नक्शा दुरूस्ती क़ा है जिसका अनुतोष सिर्फ रेवेन्यू एक्ट के तहत ही प्राप्त होता है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में सिर्फ धारा 88 एक्ट का उल्लेख करते हुए जो निर्णय पारित किया है वह अपने आपमे संदेह के घेरे में आता है। ऐसे आदेश की अपील धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत इसी न्यायालय के समक्ष होती है, जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार अदालतवाला को है। हमने प्राथमिक आपत्ति का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.10.2024 के द्वारा अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट के तहत कृषि भूमि रोही मौजा घणियासर के खसरा नं. 211/6 की 6.3250 हैक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार की रिपोर्ट व नजरी नक्शा के अनुसार दुरूस्त किया है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर के निर्णय दिनांक 07.10.2024 के विरूद्व इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है जो इस न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 मे लाई नही करती है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के द्वारा प्रस्तुत कानूनी आपत्ति स्वीकार कर उक्त अपील का न्यायालय हाजा में क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार नही होने के कारण अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपीलान्ट सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने हेतु स्वंतत्र है। आदेश की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर	